

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल- mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 16/01/2020

क्रमांक 300 /उपां/टीसी/03/रतलाम/2017 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट रतलाम विकास योजना 2011 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।


अनुसूची

| क्र. | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | विकास योजना में निर्दिष्ट मू-उपयोग | उपान्तरण पश्चात् उपान्तरित मू-उपयोग |
|------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बिरियाखेडी रतलाम | 53, 56, 56/171, 58/1/25 | 6.338 हेक्टर | कृषि एवं मार्ग | आवासीय एवं मार्ग |
| | | योग:- | 6.338 हेक्टर | | |

शर्त:- आवेदक संस्था को तालाव एवं नालों से वृक्षारोपण हेतु नियमानुसार भूमि आरक्षित करनी होगी।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयवधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रतलाम तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रतलाम को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

मध्य प्रदेश, भोपाल